न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 05/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/51

बउनवानीः– 1. तेजमल धोबी पुत्र रामनारायण धोबी निवासी महावीर भवन के पास तेलीपाडा शहर सवाईमाधोपुर जरिये मुख्त्यार आम अनवार अहमद पुत्र रफीक अहमद जाति मुसलमान निवासी गणेश पीपली शहर सवाईमाधोपुर

बनाम

1. इन्द्रराज पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी संग्रामपुरा तह0 सवाईमाधोपुर
2. ताराचन्द पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी संग्रामपुरा तह0 सवाईमाधोपुर
3. मीरा पुत्री नारायण जाति बैरवा निवासी संग्रामपुरा तह0 सवाईमाधोपुर
4. रामबिलास पुत्र बजरंगा जाति बैरवा निवासी संग्रामपुरा तह0 सवाईमाधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

(अपील विरूद्ध तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 02.11.2021 वाके ग्राम नीमली खुर्द अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा/श्री छोटू सिंह गुर्जर वकील अपीलान्टगण

2. श्री नन्दकिशोर बैरवा वकील रेस्पो.

–: निर्णय :– दिनांक 25..2.2026

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 522 दिनांक 02.11.2021 वाके ग्राम नीमली खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट राजस्व ग्राम नीमली खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के हाल खाता संख्या 161 में अंकित कृषि भूमि ख0न0 284 रकबा 0.76 है0 ख0न0 285 रकबा 0.65 है0, ख0न0 286 रकबा 0.27 है0, ख्वा0न0 310/1102 रकबा 0.11 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.79 है0 मे से 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार नारायण बैरवा पुत्र पाल्या बैरवा निवासी संग्रामपुरा तहसील सवाईमाधोपुर से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार दिनांक 9.5.2011 को कय किया गया था तथा उक्त भूमि मृतक नारायण बैरवा ने दिनांक 13.5.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खातेदार रूपनारायण ,राकेश,पुत्रान भागचन्द, पिंकी पुत्र भागचन्द,शांति बैवा भागचन्द जाति बैरवा निवासी ढाणी संग्रामपुरा से कय की गयी थी तथा असल विकय पत्र दिनांक 13.5.2008 भी अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया था। विकय पत्र दिनांक 13.5.2008 के आधार पर राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2063 से सम्वत् 2067 के खाता संख्या 143 मे नामा0 संख्या 144 दिनांक 20.6.2008 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अमल हो गया था। राजस्व ग्राम नीमली खुर्द मे स्थित विवादित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 161 मे अंकित कृषि भूमि ख0न0 284 रकबा 0.76 है0 ,ख0न0 ख0न0 285 रकबा 0.65 है0, ख0न0 286 रकबा 0.27 है0, ख0न0 310/1102 रकबा 0.11 है0, पर भौतिक कब्जा होते हुए भी मृतक नारायण की मृत्यु होते ही मौके की जॉच किये बिना ही विरासत का नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम खोल दिया जबकि उनका उक्त भूमि से दूर तक कोई संबंध नही है क्योकि मृतक नारायण पुत्र पाल्या बैरवा द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 9.5.2011 को अपीलान्ट के पक्ष मे विकय कर दिया था किन्तु उक्त विकय पत्र का अवलोकन किये बिना ही एवं मौका देखे बिना ही नामा0 522 दिनांक 2.11.2021 को खोल दिया है जो विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने योग्य है। दिनांक 11.5.2023 को विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक पटवारी हल्का से विवादित नामा0 संख्या 522 की नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपील अपीलान्ट मयाद बाहर पेश की गयी है तथा उक्त अपील जरिये मुख्त्यार अनवार अहमद पुत्र श्री रफीक अहमद निवासी गणेश पीपली शहर सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 16.6.2023 को पेश की गयी है किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त मुख्त्यार आम को दिनांक 29.8.2023 को निरस्त करने बाबत अनवार अहमद को अपने अधिवक्ता श्री छौटू सिंह गुर्जर द्वारा कानूनी नोटिस दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील मृतक नारायण की विरासत का खोला गया जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षो द्वारा किये गये कथन पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9.5.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है इसलिए उक्त आराजीयात का नामा0 अपीलान्ट के पक्ष मे खोला जाना चाहिए। रेस्पो. के अनुसार उक्त विवादित नामा0 अपीलान्ट के पिता नारायण पिता पाल्या बैरवा निवासी संग्रामपुरा की विरासत का खोला गया है तथा अपीलान्ट मृतक नारायण के विधिक वारिसान है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त नामा. नारायण की विरासत का खोला गया है किन्तु मृतक नारायण अपने जीवनकाल मे उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट को बैचान कर चुका था इसलिए विरासत का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व विक्रय पत्र दिनांक 9.5.2011 के आधार पर उक्त आराजीयात का नामा0 अपीलान्ट के नाम भरकर दर्ज फैसल करना चाहिए था जो नही किया गया है इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी नही दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25..2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner